

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
31.07.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1395 का उत्तर

तंजावुर से पट्टकोट्टई तक नई रेल लाइन

1395. श्री मुरसोली एस.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नई रेलगाड़ियां चलाने और रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के नए ठहराव देने के क्या मानदंड हैं; और
- (ख) क्या सरकार की तंजावुर से पट्टकोट्टई तक नई रेल लाइन के निर्माण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

तंजावुर से पट्टकोट्टई तक नई रेल लाइन के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री मुरसोली एस. के अतारांकित प्रश्न सं. 1395 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): नई रेलगाड़ी सेवाओं की शुरुआत करना और रेलगाड़ी सेवाओं का ठहराव प्रदान करना भारतीय रेल में यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी मांगों आदि के अध्यधीन, सतत प्रक्रियाएं हैं।

(ख): तंजावुर-पट्टकोट्टई (52 किमी) नई लाइन परियोजना एक स्वीकृत परियोजना है। इस परियोजना के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि नहीं सौंपे जाने के कारण कार्य रुका हुआ है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, जनोपयोगी बाधक सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त बाधाओं के बावजूद, परियोजना (परियोजनाओं) के शीघ्रोशीघ्र निष्पादन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014 से तमिलनाडु राज्य में निधि आवंटन पर्याप्त वृद्धि की गई है और तदनुरूप, परियोजनाओं की कमीशनिंग की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	₹879 करोड़ प्रतिवर्ष	-
2023-24	₹6,080 करोड़	6.92 गुना
2024-25	₹6,362 करोड़	7.23 गुना

यद्यपि निधि आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है, परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे, भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के माध्यम से करती है। राज्य सरकार मुआवजे की राशि का आकलन करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर, रेलवे संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुआवजे की राशि जमा करती है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण

अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और कुल लगभग 2749 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से केवल लगभग 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए थे, परन्तु परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हो सकी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार की सहायता की आवश्यकता है।
